सं०सं०–16 / PMU–10–02 / 2017 का०– 9492

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के०के० खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव /
विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त / उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 27/12/18

विषय : **दिनांक– 01 जनवरी, 2019 से राज्य सरकार के सभी विभाग / कार्यालय में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश (उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश) की स्वीकृति ऑनलाईन माध्यम से जारी करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि दिनांक– 01 जनवरी, 2019 से राज्य सरकार के सभी विभाग / कार्यालय में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के सम्बन्ध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश (उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश) की स्वीकृति ऑनलाईन माध्यम से HRMS का उपयोग करते हुए ही जारी किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जिस स्थापना से ऑनलाईन आदेश के स्थान पर ऑफलाईन आदेश जारी किया गया पाया जायेगा, उस स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी का वेतन ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् ही विकलनीय होगा।

सभी अराजपत्रित कर्मियों / स्थापना पदाधिकारियों को यदि तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो तो हेल्पलाईन अथवा अपने पैतृक विभाग के नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सहायता के लिए Help फाईल HRMS के वेबसाईट 'jharpis.gov.in' के 'FAQ and Help Videoes' लिंक में उपलब्ध है। इसके सहयोग से सभी ऑनलाईन कार्य निष्पादित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सहायता की आवश्यकता हो तो Toll Free No. 1800–345–6568 तथा झारनेट आई.पी. फोन नम्बर– 11476 पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई–मेल पता – hrms.dopar@gmail.com पर भी सहायता उपलब्ध है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ विभाग / कार्यालयों में अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाशों की स्वीकृति HRMS सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए ऑनलाईन जारी करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करते हुए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(के०के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।